(क) क्या थाणे चक्रवात ने तमिलनाडु और देश के अन्य भागों को क्षतिग्रस्त किया;

(ख) यदि हां, तो लोगों को हुई जान की हानि, उन्हें लगी चोट और सम्पत्ति के नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय टीम ने उक्त चक्रवात द्वारा हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो टीम की सिफारिशों और इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या प्रभावित राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इस परिस्थिति से निपटने के लिए इस चक्रवात को प्राकृतिक आपदा के रूप में लेने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और अब तक दी गई राज्य-वार वित्तीय सहायता की राशि कितनी है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(**क**) से (च): अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम ने, जिसने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, 30-31 दिसम्बर 2011 के ‘थाने’ के चक्रवाती तूफान के कारण जनहानि, पशु धन की हानि तथा फसलों के साथ साथ मकानों के नुकसान का आंकलन किया है, जो निम्नानुसार है:-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **नुकसान** | **तमिलनाडु** | **पुडुचेरी** |
| **1** | **मारे गए व्यक्तियों की संख्या** | **57** | **12** |
| **2** | **पशुधन की हानि की संख्या**  | **669** | **1256** |
| **3** | **क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या** | **99904** | **86,439** |
| **4** | **प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)** | **2.12** | **0.17** |

**इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य सरकार तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध/ज्ञापन प्राप्त होने पर, भारत सरकार द्वारा गठित अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम ने मौके पर जाकर आकलन करने और क्षति और तुरंत/अस्थायी प्रकृति की सहायता तथा पुनर्वास के लिए निधियों की आवश्यकता मोके पर ही आँकलन करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की चक्रवाती तूफान “थाने” से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया । उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) दिनांक 21.03.2012 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आपदा को ‘गंभीर प्रकृति’ की आपदा मानते हुए ज्ञापन, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, उस पर अन्तर मंत्रालयी समूह की सिफारिशों तथा राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से तत्काल प्रकृति की सहायता के लिए विद्यमान मदों एवं मानदंडों पर विचार किया और निम्नलिखित सहायता अनुमोदित की:-**

**(i) तमिलनाडु के लिए**

* **तत्काल आपदा के लिए एसडीआरएफ खाते में बकाया उपलब्ध के 75% समायोजन के अध्यधीन एन डी आर एफ से ‘थाने’ चक्रवात के प्रबंधन के लिए 638.137 करोड़ रुपये।**
* **क्षतिग्रस्त जलापूर्ति साधनों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डब्ल्यू पी )के विशेष घटक से 12.24 करोड़ रुपये।**

**(ii) पुडुचेरी के लिए**

* **चक्रवात ‘थाने’ के प्रबंधन के लिए 69.68 करोड़ रुपये।**

**चक्रवात ‘थाने’ के आने के बाद, भारत सरकार ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में राहत के उपाय शुरु करने के लिए 11 जनवरी, 2012 को तमिलनाडु राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से लेखा आधार पर 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। इसके अतिरिक्त, अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम की सिफारिशों तथा ‘खाता आधार’ पर एन डी आर एफ से जारी अग्रिम के समायोजन के आधार पर दिनांक 30.03.2012 को एन डी आर एफ से 23.977 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) के समग्र केन्द्रीय अंशदान की 231.15 करोड़ रुपये की राशि भी राज्य सरकार को जारी कर दी गई थी। इस प्रकार भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आवश्यक राहत के प्रबंधन के लिए एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से 755.13 करोड़ रुपये जारी किए हैं।**

 **इसी प्रकार ‘थाने’ संघ राज्य क्षेत्र के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय शुरु करने के लिए अग्रिम के रुप में 125 करोड़ रूपये की राशि जारी करके संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।**